

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(30)नविवि/सलूम्वर/2022-13536

जयपुर, दिनांक:

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.08.2022 के क्रम में सलूम्वर मास्टर प्लान-2043 के नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित राजस्व ग्राम जोड़े जाते हैं:-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
18.	सेदड़ी	SEDRI
19.	ईसरवास डांगीयान	ISARWAS DANGIYAN
20.	ईसरवास रावन	ISARWAS RAWAN
21.	ईसरवास टापरान	ISARWAS TAPRAN
22.	प्रतापनगर	PRATAPNAGAR
23.	राजपुरा	RAJPURA
24.	नामचोत (आंशिक भाग खसरा संख्या, 3011, 3018 एवं 2513 में स्थित नहर के पूर्वी दिशा का भाग)	NAMCHOT (PART - Eastern part of Canal situated in Khasra No. 3011, 3018 and 2513)
25.	बनोड़ा (आंशिक भाग -खसरा संख्या 458, 462, 515, 573, 621, 824, 846, एवम् 1743 में स्थित नदी/नाला के दक्षिण दिशा का भाग)	BANORA (PART - Southern part of River/Nallah situated in Khasra No. 458, 462, 515, 573, 621, 824, 846 and 1743)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

RajKaj Ref No.:
19259459

eSign DSC

5. जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर ।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सलूमबर ।
9. सहायक निदेशक / प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है ।
10. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव-प्रथम